IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

Original Application No. 1101/2024

IN THE MATTER OF:

Rafeek Ahamad and Ors.

Applicants

Versus

State of Uttarakhand& Ors.

Respondents

Sl. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Response Affidavit on behalf of the respondent No. 2 /UKPCB	1-5
2.	**Annexure No. 1** Copy of the complete report dated 16.11.2024.	6-13

Dated: November 2024

MUKESH VERMA
Advocate for the Respondent No. 2UKPCB
Chamber No. 50,
Old Block,
Supreme Court of India,
New Delhi

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

Original Application No. 1101/2024

IN THE MATTER OF:

Rafeek Ahamad and Ors. Applicants

Versus

State of Uttarakhand & Ors. Respondents

RESPONSE AFFIDAVIT ONBEHALF OF THE RESPONENT NO. 2 / UKPCB

I, Dr. Parag Madhukar Dhakate, aged about 47 years, S/o Sh. M.B. Dhakate Presently posted as Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun, hereby solemnly affirm and state on oath as under: -

1) That the deponent is presently posted as the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board Uttarakhand and is competent to sign and swear the instant affidavit.

2) That the deponent has read and understood the contents of the original application filed by the applicants (hereinafter referred to as 'the said application') and is in a position to reply to the contents thereof.

3) That the contents of paragraph no. 1 and 2 of said application are related to alleged incident which occurred on 20.02.2023 at illegal firecrackers godown situated at Mohalla Kanoon Goyan, Panchayat Dharamshala, Roorkee, District Haridwar, Uttarakhand and related consequences. Therefore, do not call for any reply from the Respondent No. 2.

4) That the contents of paragraph no. 3 and 4 of said application are admitted only in so far as they are a matter of record. Anything contrary thereto is vehemently denied.

5) That the contents of paragraph no. 5 to 7 of said application are admitted only in so far as they are a matter of record. Anything contrary thereto is vehemently denied. However, it is pertinent to mention that as per investigation, there was an illegal godown of firecrackers being runed by the Respondent No. 5 & 6. The Respondents No. 5 & 6 has not obtained permission/license of the same from Competent Authority under the Explosive Rules, 2008. The Respondent No. 5 & 6 has also not undertaken essential safety measures as required for storage of explosive materials.

6) That the contents of paragraph no. 8 to 11 of said application are admitted only in so far as they are a matter of record. Anything contrary thereto is vehemently denied. However, it is further reiterated that incident occurred at the illegal godown of firecrackers etc. The illegal godown was located in the highly congested area having access only through 6 feet wide road, which restrict the movement of firefighting teams.

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
GOVT.OF UTTARAKHAND (INDIA)

7) That the contents of paragraph no. 12 and 13 of said application are admitted only in so far as they are a matter of record. Further, as stated in the preceding paras, the unfortunate incident was occurred due to illegal storge of firecrackers runed by the Respondents No. 5 & 6 without any fire and safety arrangements. It is pertinent to state that the

firecrackers are classified as "Explosives" under Schedule-1 (Part-I) (C) of the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989 as amended from time to time. However, godown of firecrackers would not be covered under the "industrial activities" as defined under the said Rules.

8) That the contents of paragraph no. 14 of said application are admitted only in so far as they are a matter of record. Anything contrary thereto is vehemently denied. It is further reiterated that the godown of firecrackers would not be covered under the "industrial activities" as defined under the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989 as amended from time to time.

9) That the contents of paragraph no. 15 of said application are related to the order(s) passed by the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) in the similar matters. Therefore, no reply is required from the answering respondent.

10) That the contents of paragraph no. 16 of said application are admitted only in so far as they are a matter of record. Anything contrary thereto is hereby denied. It is humbly submitted that after the incident occured on 20.02.2023, F.I.R. No. 198/2023 was lodged under section 154 of Cr.P.C. against Alok Jindal and Ayush Jindal i.e. Respondent No. 5 & 6. Copy of F.I.R. is already annexed by the applicants with Original Application as Annexure A/2. It is to mention that after investigation, Charge Sheet No. 115/2023 has been filed against the accused for prosecution under section 304, 308, 338 & 286 of Indian Penel

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Reg.No.19(01)2002 GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

Code, 1860 and section 3 of Explosive Material Act, 1908 before the First Additional District Judge, Roorkee, District Haridwar. Further, in compliance of order passed by the Hon'ble NGT in the instant matter, the Joint Committee comprising of officials of various departments visited the site on 08.11.2024. Copy of inspection report along with copy of Charge Sheet filed on 16.06.2023 is being marked and filed as **Annexure No. 1**.

11) That the contents of paragraph no. 17 to 20 of said application are related to the provisions of the National Green Tribunal Act, 2010 and powered vested with the Hon'ble NGT for compensation to the victims of industrial accident and hence, do not call for any reply from the answering respondent.

12) That the contents of paragraph no. 21 to 26 of said application are plea of applicants for grant of compensation as determined by the Hon'ble Tribunal in similar issues and identification details of applicants for grant of compensation and therefore, do not call for any reply from the answering respondent.

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)

13) That the deponent is a being Member Secretary of the respondent No. 2 and responsible Government Officer having the highest regard for the Hon'ble Tribunal and orders passed by them. The deponent has always made his sincerest efforts to carry out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and shall continue to do so in the future.

Deponent

Verification: -

Verified at Dehradun on this the 22day of November, 2024, that the contents of the accompanying compliance affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief based on the official record and nothing is false and no material has been concealed therein.

Deponent

Dated: November 2024

NOTARY
GOVT. OF UTTARAKHAND (INDIA)
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Reg.No.19(01)2002

FILED BY

MUKESH VERMA
Advocate for the Respondent No. 2UKPCB
Chamber No. 50,
Old Block,
Supreme Court of India,
New Delhi

S.No7068
7068

This affidavit is sworn before me by
Shri Dr. Parag Madhukar Dhakate
who is identified by Shri J. Kumar
at Dehradun on 22/11/24

(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun

Annexure-1

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सिंचाई परिकल्प भवन परिसर, रूड़की -247667 हरिद्वार
E-mail:rorueppcb2013@gmail.com

पत्रांक-यूकेपीसीबी/आर0ओ0आर0/सा0-147(63)/2024/ 1188 दिनांकः 21 .11.2024

E-mail/Speed Post

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

विषयः-मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली (NGT) में योजित मूल प्रार्थना पत्र संख्या-1101/2024 रफीक अहमद व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड व अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-यूकेपीसीबी/एच0ओ0/सा0-183-810/2024/897 दिनांक 01.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रकरण में उप अपर जिलाधिकारी, रूड़की के निर्देशों के कम में विषयगत स्थल का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 08.11.2024 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित् है। निरीक्षण आख्या संलग्न है। **(संलग्नक-1)**।

अग्रेतर अवगत होना चाहें कि विषयगत प्रकरण में उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सदस्य सचिव प्रतिवादी संख्या-2 हैं तथा राज्य बोर्ड की ओर से Response Affidavit दाखिल किया जाना है। प्रकरण में बिन्दुवार Draft Narratives अवलोकनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित् है। **(संलग्नक-2)**।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीय,

21.11.2024

(डा0 राजेन्द्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0 1101/2024 रफीक अहमद एवं अन्य बनाम उत्तरखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.08.2024 के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

प्रकरण दिनांक 20.02.2023 को मौहल्ला कानून गोयान, पंचायती धर्मशाला, रुड़की के समीप श्री आलोक जिंदल पुत्र श्री प्रसन्न प्रकाश एवं श्री आयुष जिंदल पुत्र श्री सुशील जिंदल निवासी मौहल्ला कानून गोयान, पंचायती धर्मशाला, रुड़की द्वारा बनाये गये अनधिकृत पटाखों आदि के गोदाम में आग/विस्फोट की घटना तथा उक्त घटना से जन हानि के मुआवजा से सम्बन्धित है।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन सं0 1101/2024 "रफीक अहमद एवं अन्य बनाम उत्तरखण्ड राज्य एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 28.08.2024 के अनुपालन में विषयगत स्थल का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 08.11.2024 को किया गया। निरीक्षण में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थेः-

1. श्री धनीराम सैनी, नायब तहसीलदार, तहसील रूड़की।
2. श्री पंकज राजपूत, राजस्व उपनिरीक्षक, तहसील रूड़की।
3. श्री सुंदरपाल, अग्निसमन अधिकारी, रूड़की।
4. सुश्री अंशु चौधरी, उपनिरीक्षक, कोतवाली, रूड़की।
5. डा0 राजेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूड़की।

निरीक्षण के समय श्री गोपाल जिंदल पुत्र श्री सुशील कुमार, निवासी-93, कानून गोयन, तहसील रूड़की एवं श्री सुशील कुमार पुत्र श्री प्रसन्न प्रकाश निवासी-93, कानून गोयन, तहसील रूड़की उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत हैः-

1. श्री आलोक जिंदल एवं श्री आयुष जिंदल द्वारा विषयगत स्थल पर अनधिकृत रूप से पटाखों आदि का गोदाम बनाकर पटाखों आदि को भण्डारित किया गया था। पटाखों आदि के भण्डारण/विक्रय हेतु श्री आलोक जिंदल एवं श्री आयुष जिंदल द्वारा सक्षम स्तर से विस्फोटक पदार्थ नियम, 2008 के प्रावधानों के अन्तर्गत वांछित लाईसेंस/अनुमति प्राप्त नहीं की गयी थी।

2. श्री आलोक जिंदल एवं श्री आयुष जिंदल द्वारा जिन दुकानों को पटाखों आदि के गोदाम के रूप में प्रयोग किया जा रहा था वह स्थल लगभग 6 फुट संकरी सड़क से जुड़ा हुआ अत्यन्त घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जो पटाखों जैसे अन्य विस्फोटक पदार्थो के भण्डारण हेतु सर्वथा अनुपयुक्त जगह थी।

3. श्री आलोक जिंदल एवं श्री आयुष जिंदल द्वारा विषयगत स्थल को गोदाम के रूप में प्रयुक्त किये जाने हेतु आवश्यक सुरक्षा उपायों-यथा अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्थाऐं आदि नहीं की गयी थी।

4. पटाखें The Manufacture, Storage and import of Hazardous Chemical Rule, 1989 (as amended time to time) के Schedule-1 (Part-I) के अन्तर्गत (C) Explosives के अन्तर्गत वर्गीकृत है, तथापि विषयगत प्रकरण मात्र पटाखों आदि के अनधिकृत भण्डारण एवं रख-रखाव से सम्बन्धित है।

5. दिनांक 20.02.2023 को आग/विस्फोट की घटना के विरूद्ध पुलिस विभाग द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304, 338, 308 एवं 286 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3 के अन्तर्गत मा0 सक्षम न्यायालय में "राज्य सरकार बनाम आलोक जिंदल एवं अन्य" वाद (प्रथम सूचना संख्या-198/2023) दाखिल किया गया है। वर्तमान में प्रकरण मा0 प्रथम अपर जिला जज, रूड़की के समक्ष विचाराधीन है।

क्रमशः पृष्ठ 2

OFFICE COPY

6. मा0 एन0जी0टी0 में विचाराधीन मूल आवेदन सं0-1101/2024 के संदर्भ में याचीगणों यथा- श्री रफीक अहमद पुत्र श्री रहिमुल्ला, निवासी इमामबाड़ा वाली गली, महिग्राम, रुड़की; श्री सोनू पुत्र श्री खुर्शीद निवासी गाँव बढ़ेडी, राजपुतान, भारापुर भौरी, रुड़की एवं श्री सगीर अहमद पुत्र श्री अली अहमद निवासी 466, महिग्राम, रुड़की से दिनांक 13.11.2024 को व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया गया। उपरोक्त याचीगणों के अनुसार विषयगत प्रकरण में जनहानि के एवज् में उन्हें वर्तमान तक किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है।

7. श्री आलोक जिंदल एवं श्री आयुष जिंदल द्वारा अवैधानिक रूप से बनाये गये पटाखों आदि के गोदाम में आग/विस्फोट के कारण जनहानि आदि के दृष्टिगत सम्बन्धित कोतवाली द्वारा अभियुक्तगणों के विरूद्ध चार्जशीट (आरोप पत्र संख्या-115/2023) दाखिल किया जा चुका है। चार्ज शीट की छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक-1)**। सम्बन्धित वाद मा0 प्रथम अपर जिला जज, रुड़की के समक्ष विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या प्रस्तुत है।

1. श्री धनीराम सैनी, नायब तहसीलदार, तहसील रुड़की।	(हस्ताक्षर) H.T. (R)
2. श्री पंकज राजपूत, राजस्व उपनिरीक्षक, तहसील रुड़की।	(हस्ताक्षर)
3. श्री सुंदरपाल, अग्निशमन अधिकारी, रुड़की।	(हस्ताक्षर) FSO
4. सुश्री अंशु चौधरी, उपनिरीक्षक, कोतवाली, रुड़की।	(हस्ताक्षर)
5. डा0 राजेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रुड़की।	(हस्ताक्षर)

अपर उपजिलाधिकारी, रुड़की

OFFICE COPY

MAHMOODA RAO
Advocate
R. No. U.K. 778/2021
Civil Court Ramnagar Roorkee
Mob. 9045783749

संलग्नक-1

केवल प्रतिलिपि फीस हेतू

प्रार्थना पत्र देने का दिनांक	नोटिस का दिनांक	जारी करने का दिनांक	हस्ताक्षर मुख्य प्रतिलिपिक
28 / 14/11/24	18/11/24	18/11/24	18/11/24

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रुड़की
सत्र परीक्षण संख्या 155/2023
सरकार बनाम आलोक / जिन्दल आदि
धारा 304, 380, 388, 201 भा०द०सं०
व 3 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम
थाना [illegible]
मु०अ०सं० 198/2023

नकल आरोप पत्र [illegible]
[illegible]

₹5
UTTARAKHAND COURT FEE
UKCT0753222K2430K
07-NOV-2024
CANCELLED

₹5
UTTARAKHAND COURT FEE
UKCT0753220K2430K
07-NOV-2024
CANCELLED

Copying Section ... Roorkee Distt. Haridwar

(अभि०गण उत्तराखंड)

मु०अ०सं० 198/23 धारा- 304, 308, 338, 286 भा०द०वि० व 3 विस्फोटक पदार्थ अधि०

पुलिस प्रपत्र संख्या–339

आरोप–पत्र (मूल)

जिला — हरि० 1207/23 ACJM(R)

थाना — कोतवाली रुड़की

प्रथम सूचना संख्या 198/23 तारीख 20-02-23 सन् 200 — 242805

आरोप–पत्र संख्या 115/23 तारीख 16-06-23 सन् 200 —

अपराध–संख्या 198/23

Crl. Case No. 1427/23

1	2										4	5	6	7	8	9		
उस सूचना देने वाले का नाम, पता और पेशा	नाम और पता अभियुक्त, जो चालान नहीं किये गए हैं, चाहे पकड़े गये हों या न पकड़े गए हों				अभियुक्तों के नाम व पते, जिनका चालान किया गया हो						माल (हथियार सहित) जो पाये गये हों इस विवरण के साथ कि कहां और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मैजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं भेजा गया	आरोप या सूचना, अपराधी का नाम और उससे सम्बन्धित परिस्थिति का संक्षिप्त विवरण और विवाद की वह धारा जो अपराधी के सम्बन्ध में लगाई गई हो	मुकदमा का परिणाम	गवाहों के नाम और पते	विवरण अपराधी	पूर्ण सजाएं		
	संदिग्ध अभियुक्त		फरार अभियुक्त		गिरफ्तार		जमानत व जाती मुचलके पर		मफरूर							दिनांक	स्थान	सजा
	नाम	उम्र	नाम	उम्र	नाम व पता	उम्र	नाम व पता	उम्र	नाम व पता	उम्र								
	सर्व रजिस्टर्ड है। अभियुक्तगण पर आलोक जिंदल व आयुष जिंदल के विरुद्ध धारा 308/304/338/286 भा.द.वि. व विस्फोटक पदार्थ अधि० में संशोधित किया जाता है।				1) आलोक जिन्दल पुत्र स्व० प्रवेश जिन्दल 2) आयुष जिन्दल पुत्र श्री सुशील जिन्दल निवासीगण मो० कानूनगोयान थाना कोतवाली रुड़की (हरि०)	48 / 24					मुकदमा घटनास्थल से मलबा, सैम्पल, माल पदार्थ व कुछ सैम्पल परीक्षण FCL लालकुआं (Roorkee) जिला अग्रसारित	श्रीमान जी, निवेदन है कि मुकदमा उपरोक्त वादी द्वारा लिखित तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर अन्तर्गत धारा - 304, 338, 308, 286 भा.द.वि. व 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधि० बनाम आलोक जिन्दल आदि 02 नफर अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना तत्कालीन व०उ०नि० गंगाराम रणजीत खनेड़ा के सुपुर्द किये जाने पर ... विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण नं०-(2) को अन्तर्गत धारा- 304, 308, 338, 286 भा.द.वि. व 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधि० में दिनांक 19-03-23 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। ... धारा-4 विस्फोटक पदार्थ अधि० में रिमाण्ड स्वीकृत नहीं किये जाने पर अग्रिम विवेचना धारा- 304, 308, 338, 286 भा.द.वि. व 3 विस्फोटक पदार्थ अधि० में सम्पादित की गयी। विवेचना ... अभियुक्तगण द्वारा ... आबादी क्षेत्र में बिना ... लाइसेंस के विस्फोटक पदार्थ व विस्फोटक का भण्डारण कर आबादी के निर्दोष नागरिकों (1) अरमान (2) ... (3) ... (4) नौशाद की गैर इरादतन हत्या कारित करना व ...						

(Bushra Kamal)
Addl. Chief Judicial Magistrate
Roorkee
17/06/2023

Copying Section, Roorkee (Haridwar)

बजे दिन/रात का दिनांक सन् 20 ई० को भेजा गया।

जांच करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर।

cont.

एस०यू०(आर०ई०) 12 पुलिस/268–08–12–2014–10,000 रजि० (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

पुलिस प्रपत्र संख्या–339

606 (CD-26) 28/11/23 — 48 वर्ष

मु.अ.सं. 198/23

आरोप–पत्र (मूल)

प्रथम सूचना संख्या

आरोप–पत्र संख्या

अपराध–संख्या

तारीख ———— सन् 200 ——

तारीख ———— सन् 200 ——

242807

ला ——

ना —— सुलतान [illegible]

1	2				3						4	5	6	7	8	9		
वाले का नाम, पता और धन्धा	नाम और पता अभियुक्त, जो चालान नहीं किये गए हैं, चाहे पकड़े गये हों या न पकड़े गए हों				अभियुक्तों के नाम व पते, जिनका चालान किया गया हो						माल (हथियार सहित) जो पाये गये हों इस विवरण के साथ कि कहां और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मैजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं भेजा गया	आरोप या सूचना, अपराधी का नाम और उससे सम्बन्धित परिस्थिति का संक्षिप्त विवरण और विवाद की वह धारा जो अपराधी के सम्बन्ध में लगाई गई हो	मुकदमा का परिणाम	गवाहों के नाम और पते	विवरण अपराधी	पूर्ण सजाएं		
	संदिग्ध अभियुक्त		फरार अभियुक्त		गिरफ्तार		जमानत व जाती मुचलके पर		मफरूर							दिनांक	स्थान	सजा
	नाम	उम्र	नाम	उम्र	नाम व पता	उम्र	नाम व पता	उम्र	नाम व पता	उम्र								
			5)	गिरफ्तार														
			ii)															
			iii)	जिलाबदर														

अ: नीरज को गम्भीर चोट/ आहत कारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य व आधार पाये गये,
तमाम विवेचना, बयान वादी, बयान [illegible] एवं अन्य पत्रावली
बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, बयानात गवाहान पंचनामा
PM रिपोर्ट मृतक गण व मेडिकल रिपोर्ट मजरूब, इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्य के
रूप मे कब्जे लिये गये पेन ड्राइव व DVR, गिरफ्तारी अभियुक्तगण आदि
तमाम साक्ष्य संकलन विवेचना से अभि-गण खाना नं (3) (आलोक [illegible]
व आयुष [illegible]) के विरुद्ध जुर्म धारा 304, 308, 338, 286 IPC
व 03 विस्फोटक पदार्थ अधि० का जुर्म [illegible] पाया गया है। अतः अभि०
गण खाना नं० (3) का चालान उपरोक्त धाराओं में जरिये आरोप
पत्र मा० न्यायालय किया जाता है। मा० न्यायालय से निवेदन है कि
अभियुक्तगण के विरुद्ध संज्ञान लेकर सम्मन तलब फरमाकर [illegible]
से दण्डित करने की कृपा करें।

16/06/23
(SI प्रदीप [illegible])
PS [illegible]

W.A. I.O.
[illegible]

To CC

To. Court
17/06/23

(CO/P)

बजे दिन/रात का दिनांक सन् 20 ई0 को भेजा गया।

जांच करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर।

0एस0यू0(आर0ई0) 12 पुलिस/268–06–12–2014–10,000 रजि0 (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

सूची गवाहान

PW3 1) नरेश कुमार गंगवार उ.उ.नि. को. रुड़की हाल तैनात – को. ज्वालापुर (हरि.) Ph- 7983883382 — (वादी)

2) उ.नि. धारा सिंह चौहान थाना कोत. रुड़की (हरि.) 9917370222 ——— (गवाह)

3) अमन जैन (?) लक्की S/o जितेन्द्र R/o मो. [illegible] कानून गोयान PS कोत. रुड़की (हरि.) (गवाह)

4) गौरव वर्मा S/o स्व. राजेन्द्र वर्मा R/o मो. कानून गोयान PS ,, (हरि.) Ph-9997009756 (गवाह)

5) सोनू S/o जुल्फी R/o बढ़ेड़ी राजपुतान PS बहादराबाद (हरि.) 9927508761 ——— (गवाह)

6) सार्थक छाबड़ा S/o स्व. महेन्द्र R/o पश्चिमी अम्बर तालाब PS गंगनहर (हरि.) ——— (,,)

PW7 7) नीरज कुमार S/o हरपाल R/o ढण्डेरा निकट काली मन्दिर PS कोत. रुड़की (हरि.) 9536585644 (गवाह) मजरूब

PW8 8) आदिल S/o आकिल R/o मो. पठानपुरा देवी चौक ग्राम पुरानी तहसील PS देवबन्द सहारनपुर (उ.प्र.) हाल निवासी प० इन्तजार [illegible] रुड़की PS कोत. रुड़की Ph-8865000076 —— (गवाह)

PW4 9) सूरज S/o राजकुमार R/o गली नं. 3 रामनगर इब्राहीमपुर PS गंगनहर (हरि.) Ph-9068965238 (गवाह) मजरूब

9) रफीक अहमद S/o रहीमउल्ला R/o इमाम बाड़े वाली गली माहीग्रान PS रुड़की (हरि.) Ph-7895435856 (गवाह)

10) समीर अहमद S/o अली अहमद R/o मो. माहीग्रान PS रुड़की (हरि.) Ph - 8534805486 —— (गवाह)

11) उ.नि. करम सिंह चौहान PS को. रुड़की (हरि.) 7060187565 —— (गवाह) पंचनामा मय फर्द

12) उ.नि. मनोज रावत ,, ,, 9870691808 (गवाह) पंचनामा कर्ता

13) डा. तारिक अजीज मेडिकल ऑफिसर सिविल अस्पताल रुड़की (हरि.) (PM कर्ता)

14) डा. गोपाल गुप्ता ,, ,, 9897619624 (PM कर्ता)

15) डा. संजीव कुमार गोयल S/o नरेन्द्र गोयल R/o कोटवाली गली ज्वालापुर PS ज्वालापुर (हरि.) 9758646022

सूची गवाहान

16) HC 61 CP प्रदीप बिष्ट PS कोत. रुड़की - (ह०) 9634768388 —— (FIR लेखक)

17) रणजीत ~~खत्री~~ SS, गंगनहर - (ह०) - 8077454591 —— (पूर्व विवेचक)
हाल तैनात SIS हरिद्वार ह० -

18) मनोज शर्मा व.उ.नि. गंगनहर (ह०) हाल - SO बुग्गावाला - 7505995744 (पूर्व I/O)

19) प्रदीप तोमर ,, ,, 7500007100 (विवेचक)

20) देवेन्द्र सिंह नेगी FSO रुड़की (ह०) हाल - जनपद उत्तरकाशी 7055988055 (गवाह)

WA 500
नाजीर/सरिश्तेदार/लिपिक।

प्रमाणित प्रतिलिपि
18/11/24
मुख्य प्रतिलिपिक
अपर जिला जज, रुड़की
जिला हरिद्वार